


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रवालियर ₹५०५००



१३ केशरी प्रसाद ₹ तीनों के पिता स्व०  
 १२१ रामपाल , ₹ रामदुलारे राम ब्रा०  
 १३३ मिर्झा प्रसाद, ₹ सभी निवासी ग्राम ममदर, तह० रामपुर नैकिन, जिला-सीधी  
 ₹५०५०० ----- आवेदकगण

१२१, २९८-I/३

### ब्राम

१४ छोटेलाल ब्रा०, ₹ तीनों के पिता अंजनी प्रसाद ,  
 १२२ राजमणि ब्रा०, ₹ तीनों निवासी- ग्रा० ममदर, तह० रामपुर  
 १३४ लालजी ब्रा०, ₹ नैकिन, जिला- सीधी ₹५०५००

श्री २३.१.१३ को  
द्वारा आवेदन किया गया है।

को  
२३.१.१३  
द्वारा आवेदन किया गया है।

----- अनावेदकगण

निगरानी विलङ्घ आदेश न्यायालय अनुविभागीय  
 अधिकारी युरहट, जिला- सीधी ₹५०५००  
 द्वारा प्रकृ०- 64 अप्रैल/२०११-१२ . में  
 पारित आदेश दि० ११-०१-२०१३ .

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०५००५० रु० सं०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखि हैं :-

१३ यह कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश  
 विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त किए  
 जाने योग्य है।

*Alhatiwadi*  
२३.१.१३

(18)

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबंधि आदेश प्रब्लू

प्रकरण क्रमांक R/298/1/13, लीटी,

छोशी /छोटेलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
05/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>धर्मेन्द्र चतुर्वेदी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुबंधित अधिकारी <u>पुरुषट्ट</u> के प्रकरण क्रमांक <u>65/214/ला(11-12)</u> में पारित आदेश दिनांक <u>11/01/13</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>22/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	